न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/8973 दिनांक –18/10/2025

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 छगनीदेवी पत्नि प्रभुसिंह वगैराह जातियान राजपुरोहित निवासी लाखाणियो की ढाणी बालेरा तहसील व जिला बाडमेर		1 भंवरराराम पुत्र हरचन्दराम वगैराह जाति मेगवाल निवासी लाखाणियो की ढाणी बालेरा तहसील व जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :– 621/2025 दिनांक– 13/10/2025

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा लाखाणियो की ढाणी पटवार क्षेत्र बालेरा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 562/191 रकबा 0.4371 हैक्टयर, खसरा संख्या 190 रकबा 1.1007 हैक्टयर व खसरा संख्या 189 रकबा 1.0846 हैक्टयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्त्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :– रीडर/2025/8974- 8977 दिनांक– 18/10/2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बालेरा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण छगनीदेवी पत्नि प्रभुसिंह वगैराह जातियान राजपुरोहित निवासी लाखाणियो की ढाणी बालेरा तहसील व जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थी भंवरराराम पुत्र हरचन्दराम वगैराह जाति मेगवाल निवासी लाखाणियो की ढाणी बालेरा तहसील व जिला बाडमेर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2025.10.25 12:38:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर